आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

28/04/2021

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 60/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता श्री मनोहर प्रसाद, पिता–स्व० शम्भुशरण लाल, ग्राम–भगवतीपुर, थाना–वंशी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
46	–	2 विगहा 2 कटटा 10 धुर	उत्तर– दक्षिण– पूरब– पश्चिम–

मौजा–भगवतीपुर, थाना–वंशी, थाना संख्या–236, अंचल–सोनभद्र वंशी सूर्यपूर, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया तथा अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर से भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। दाता के तरफ से कोई वाद में उपस्थित नही हुए और ना ही इस वाद में किसी के द्वारा आपति दर्ज की गई। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के द्वारा जॉच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

भूदान दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है। अंचल अधिकारी सोनभद्र वंशी सूर्यपूर ने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि वर्णित भूमि खतियान में किस्म भीठ दर्ज है जिसका कुल रकवा–2.56 डी० है। अलख लाल, पिता–देवनारायण लाल जमाबंदी रैयत है और जमाबंदी रैयत से भूदाता का संबंध चचेरा चाचा का है। वर्णित भूमि पर किसी का दखल कब्जा नही है। प्रस्तावित भूमि नेनुआ नाला में विलय हो गया है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंरी, धार्मिक, न्यास बोर्ड, केशरे हिन्द, गैरमजरूआ मालिक/आम से मुक्त है।

अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टी की जाती है साथ ही वर्णित भूमि नेनुआं नाला में विलय हो जाने के कारण भूमि बॉटने की कार्यवाई करना संभव नही है। अतः इस शर्त के अधीन सम्पुष्ट किया जाता है कि भूमि नाला से मुक्त होने के बाद ही वितरण योग्य है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

28/04/2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

28/04/2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।